

प्रार्थना पत्र दर्ज शिखर 22 किया गया।  
 प्रार्थना अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र  
 अंतर्गत आदेश 09 नियम 09 सीपीसी.  
 संपठित चारा 151 CPC पेश कर  
 न्यायालय में विचाराधीन उकरण किया  
 22/2021 तारीख फैसला 9.12.2021 प्रार्थना  
 पत्र अंतर्गत चारा 212 राजस्थान  
 कानूनी अधिनियम को पुनः देखो  
 करने हेतु निवेदन किया। उक्त प्रार्थना  
 पत्र पर प्रतिवादीगण अधिवक्ता  
 द्वारा सहमत जाहिर की गयी। अतः  
 प्रार्थना पत्र अंतर्गत 09 R 09 संपठित  
 चारा 151 CPC को स्वीकार कर मूल  
 प्रार्थना पत्र को देखो कर नये  
 मंवर पर दर्ज करने के आदेश  
 दिए जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार  
 होकर मूल पत्रावली के साथ नथी है।

